:: कार्यालय कलेक्टर जिला–खण्डवा ::

क्रमांक/3178/वाचक कले0/2013. खण्डवा, दिनांक 1.03.2013

प्रति,

अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल,
मध्यप्रदेश, ग्वालियर

विविध 1543-PBR/13

विषयः– कलेक्टर न्यायालय में संस्थित प्रकरण कमांक 2–अ–59/2011–12 एवं 3–अ–59/2011–12 में पूर्व पारित आदेशों के पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

–:0:– [शासन / मे. ईरा इंफ्रा इंजी.]

खण्डवा जिले का विकास के अंतर्गत परियोजना/ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में किये गये एम.ओ.यू. की समीक्षा बैठक दिनांक 19.02.2013 में समिति व्दारा निर्णय लिया गया है कि मेसर्स ईरा इन्फ्रा इंजनियरिंग लिमिटेड, नई दिल्ली व्दारा ग्राम चिचगोहन, तहसील खण्डवा में 1320 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने हेतु मांग की गई शासकीय भूमि से संबंधित संस्थित प्रकरण कमांक 2–अ–59/2011–12 एवं 3–अ–59/2011–12 में पूर्व पारित आदेशों के पुर्नविलोकन हेतु म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 में विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत प्रस्ताव वरिष्ठ न्यायालय को प्रेषित किए जाए।

2– अतः उक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर न्यायालय, खण्डवा में संस्थित राजस्व प्रकरण कमांक 2–अ–59/2011–12 एवं प्रकरण कमांक 3–अ–59/2011–12 में पूर्व पीठासीन अधिकारी व्दारा पारित आदेश दिनांक 24.11.2011 को पुर्नविलोकन में लिये जाने की अनुमति म.प्र.भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 में उल्लेखित प्रावधान अनुरुप प्रदान करने का कष्ट करें। दोनों मूल राजस्व प्रकरण पत्र के साथ संलग्न प्रेषित है। कृपया अनुमति उपरांत मूल प्रकरण वापिस कलेक्टर न्यायालय, खण्डवा को वापिस लौटाने का कष्ट करें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(नीरज दुबे)
कलेक्टर
जिला, खण्डवा
दूरभाष कमांक 0733–2224153

शासन बनाम इला. इंजी. लि०

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्र.क्र.मिसलेनियस 1543-पीबीआर/2013 जिला-खण्डवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-3-2018	आवेदक शासन की ओर से शास0 अधिवक्ता श्री हेमन्त मूंगी उपस्थित । आवेदक अधिवक्ता को सुना गया तथा प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत दर्ज किया गया है । राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में राजस्व मण्डल को रिव्यु अनुमति दिये जाने का प्रावधान नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालय अपने वरिष्ठ नियंत्रक अधिकारी से रिव्यु अनुमति लेकर आवश्यक कार्यवाही करें । अध्यक्ष	